न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : 88 आर.टी.ए.

नम्बर मुकदमा – 101/2026

मनीन्द्र सिह पुत्र जगसीर सिह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1 जगसीर सिह पुत्र गुजर सिह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रति स. 1 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। चक 5 आई.डी.जी. खाता स. 63/53 खाता जगसीर सिहव वगैरा ज.स. 2072–75 में वादी के पिता प्रति स. 1 जगसीर सिह पुत्र गुजर सिह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी का जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है।। प्रति स. 1 ने अपने नाम दर्ज आराजी में से 1.012 है0 आराजी का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। उक्त चक 5 आई.डी.जी. खाता स. 63/53 खाता जगसीर सिहव वगैरा ज.स. 2072–75 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 4.1570 है0 आराजी मे से 1.012 है0 आराजी का वादी खातेदार काशतकार है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है।वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्ताकर होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से अंकन अलग कायम करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः चक 5 आई.डी.जी. खाता स. 63/53 खाता जगसीर सिहव वगैरा ज.स. 2072–75 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 4.1570 है0 में से 1.012 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

आराजी से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी में से 1.012 है0 आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद– पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रति स. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 2 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया । जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में मनीन्द्र सिह की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया।जो शामिल मिसल है।अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 5 आई.डी.जी. खाता स. 63/53 खाता जगसीर सिहव वगैरा ज.स. 2072–75 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 4.1570 है0 में से 1.012 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी में से 1.012 है0 आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे।अधिवक्ता प्रतिवादी स. 1 द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया।चक 5 आई.डी.जी. खाता स. 63/53 खाता जगसीर सिहव वगैरा ज.स. 2072–75 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 4.1570 है0 में से 1.012 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी में से 1.012 है0 आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 5 आई.डी.जी. खाता स. 63/53 खाता जगसीर सिहव वगैरा ज.स. 2072–75 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 4.1570 है0 में से 1.012 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी में से 1.012 है0 आराजी वादी के नाम दर्ज की जावे।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20/4/२०२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया